रहा है ऐसा संज्ञान में लाया गया है। नवम्बर 2012 से नियत यात्रा भत्ता 200/—रूपये लगवाने, प्रत्येक माह शासनादेश दिनांक 07.01.2013 के अनुसार 5 तारीख को संस्था एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य संवर्गहितार्थ बैठक करवाने, प्रमुख सचिव कार्मिक के निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 27 मार्च 2001 के क्रम में शाखा/उपशाखा का कार्यकाल दो वर्ष रखने, जनपद फैजाबाद की सदर तहसील के लेखपालों को वी0आई0पी0 ड्यूटी में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण करने, देवीपादन मंडल के साथियों को कृषिगणन वर्ष 2005 का मानदेय अतिशीघ्र दिलवाने, आर0के0/ए0आर0के0 संवर्ग की स्थानान्तरण नीति क्रियान्वित करवाने आदि पर भी प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की और अपने स्तर से भी पूर्ण सहयोग देने के लिये आश्वस्त किया। पुनः सभी को आभार व्यक्त करते हुए प्रधान कार्यालय द्वारा जारी एजेण्डा दिनांक 18.05.2013 को उल्लिखित बिन्दुओं पर एक साथ अपने सुझाव देने हेतु आय—व्यय का लेखा—जोखा रखने हेतु प्रदेश कोषाध्यक्ष भी अमलेश कुमार शर्मा जी को आमंत्रित किया। कोषाध्यक्ष द्वारा सम्मेलन/स्वर्ण जयंती समारोह में व्यय हुये पूर्व अनुमोदन के पश्चात् अवशेष व्यय धनराशि एवं तत्पश्चात् निर्वाचन के पश्चात् से माह—वार आय—व्यय संस्थागत एवं प्रधान कार्यालय पर व्यय मासिक धन का विवरण सदन में रखा, जिसे सदन द्वारा सर्व सम्मति से हाथ उठाकर पास किया गया। कोषाध्यक्ष द्वारा इस कार्यवाही के लिये सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया तथा वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए सदन से संस्था शुल्क बढ़ाने की अपील की। तत्पश्चात् महामंत्री द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों से संयम एवं अनुशासन के साथ एजेण्डा आदि के विषयों पर सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया गया। तत्क्रम में सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों में से 48 जनपदों के पदाधिकारियों द्वारा अपने उद्बोधन में निम्नवत् मिश्रित विचारों को प्रकट किया गया।

1. हाल में अत्यधिक गर्मी है लोग बीमार हो जायेंगे। अतएव अगली बैठक के पूर्व हाल में 3 ए0सी0 लगवाये जाय।
2. आगामी सम्मेलन में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष को विधिक सदस्य व जनपद स्तर पर उपशाखाओं के अध्यक्ष को जिला कार्यकारिणी का विधिक सदस्य बनाये जाने का संशोधन प्रस्ताव पारित करवाकर नियमावली/विधान में संशोधन करवाया जाय।
3. राशन कार्ड निर्माण पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाय।
4. वर्ष में प्रत्येक 6 माह पर आवश्यक रूप से समस्याओं के निराकरण विषयक आन्दोलन हो।
5. पक 11 ख के फार्म उपलब्ध कराये जाय।
6. विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नतियां की जाय।
7. लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदो को भरा जाय।
8. आय के मानक शासन/परिषद से निर्धारित करवाये जाये अन्यथा बहिष्कार किया जाय।
9. लेखपालों को प्रथम ए0सी0पी0 2400/—रू0 देने के सम्बन्ध विरोध करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाय।
10. वाहन भत्ता दिलवाया जाय।
11. ए0आर0के0/आर0के0 के भी शासनदेश के अनुसार नियमित स्थानान्तरण हो।
12. एक व दो वर्ष की सेवा अवशेष के लेखपालों को पदोन्नति आर0आई0 पद पर न किया जाय।

शेष पेज 4.....